राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 804/2015..... जिला : अलवर

मैसर्स डाबर इण्डिया लिमिटेड.अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, अलवर व अपीलीय अधिकारी,वाणिज्यिक कर विभाग,अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहरपुरी,सदस्य**	
08.06.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री आर.सी.शाह अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर,अलवर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 26.05.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन वृत अलवर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03..2015, जो अधिनियम की धारा 25, 55, व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित किया गया हैं, में विवादित मांग राशि में से रू. 3,73,51,011/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा रू. 3,23,51,011/–पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष रू. 50,00,,000/– अस्वीकार किये जाने को विवादित कर शेष रू. 50,00,,000/– को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि के स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 50,00,,000/– की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया (मनोहरपुरी) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	